भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 997
उत्तर देने की तारीख : 08.02.2024

एमएसएमई को सहायता

997. श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:

क्या *सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम* मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ऐसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की सहायता करने के लिए कदम उठा रही है जिन्हें स्टार्टअप योजनाओं के अंतर्गत घाटा हो रहा है और यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान प्रदान की गई सहायता का राज्य-बार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं, और

(ख) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने सहायता हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत नए दावे प्रस्तुत किए है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार के पास सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लंबित आवेदनों की स्थिति क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) और (ख): उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, स्टार्टअप्स को निधियन सुलभ कराने के लिए डीपीआईआईटी द्वारा विभिन्न पहल शुरू की गई हैं, जिनमें स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, स्टार्टअप्स के लिए स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शामिल हैं। स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस) - सरकार ने (डीपीआईआईटी), अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सेबी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधि के तहत उद्यम ऋण निधि (वीडीएफ) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स को दिए गए ऋणों पर क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना आरम्भ की है। सीजीएसएस का उद्देश्य पात्र उधारकर्ताओं अर्थात डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप को वित्तपोषित करने के लिए सदस्य संस्थानों द्वारा दिए गए ऋणों के लिए एक निर्दिष्ट सीमा तक क्रेडिट गारंटी प्रदान करना है।

दिनांक 31.12.2023 की स्थिति के अनुसार चुने गए स्टार्ट-अप और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के तहत स्वीकृत धनराशि का विवरण अनुबंध - I में है।

एनसीजीटीसी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दिनांक 15.03.2023 से 31.01.2024 तक स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत 106 स्टार्टअप्स को 265 करोड़ रुपये के ऋणों को गारंटी प्रदान की गई है।

*****

अनुबंध- I

"एमएसएमई को सहयोग" पर लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 997, जिसका उत्तर दिनांक 08.02.2024 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुबंध।

चयनित स्टार्टअप और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के तहत स्वीकृत धनराशि (31 **दिसंबर** 2023 **की स्थिति के अनुसार) का संघ राज्य क्षेत्र-वार के अनुसार विवरण इस प्रकार है**:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सीड फंड पोर्टल पर चयनित स्टार्टअप की संख्या	स्वीकृत धनराशि (करोड़ रुपये में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	0.04
2	आंध्र प्रदेश	32	4.58
3	अरुणाचल प्रदेश	1	0.20
4	असम	24	3.24
5	बिहार	36	7.06
6	चंडीगढ़	13	1.80
7	छतीसगढ	8	1.16
8	दिल्ली	114	22.01
9	गोवा	17	2.01
10	गुजरात	136	23.71
11	हरियाणा	81	12.15
12	हिमाचल प्रदेश	14	2.24
13	जम्मू और कश्मीर	4	0.43
14	झारखंड	6	1.60
15	कर्नाटक	254	54.41
16	केरल	47	7.94
17	मध्य प्रदेश	74	11.09
18	महाराष्ट्र	319	57.73
19	मणिपुर	3	0.30
20	मेघालय	1	0.20
21	मिजोरम	2	0.40
22	नागालैंड	5	0.75
23	ओडिशा	48	6.70
24	पुडुचेरी	7	0.96
25	पंजाब	20	2.11
26	राजस्थान	65	9.62
27	सिक्किम	2	0.20
28	तमिलनाडु	155	25.34
29	तेलंगाना	104	22.17
30	उत्तर प्रदेश	112	18.61
31	उत्तराखंड	11	2.10
32	पश्चिम बंगाल	24	3.58
	कुल योग	**1,740**	**306.43**

स्रोत: डीपीआईआईटी